मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-07-55/2022/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 20 मई, 2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः- सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बैकलॉग के निर्धारण हेतु जिला स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर एवं मंत्रालय स्तर पर गठित समितियों के संबंध में।

:::::

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 मई, 2001 एवं दिनांक 16 अगस्त, 2001 द्वारा सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बैकलॉग के निर्धारण हेतु, जिला स्तर/विभागाध्यक्ष एवं मंत्रालय स्तर पर समितियॉ गठित की गई है।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा समितियों का गठन नहीं किया जाकर, कार्यवाही की जा रही है।

3/ अतः परिपत्र दिनांक 28 मई, 2001 एवं दिनांक 16 अगस्त, 2001 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि परिपत्रों में उल्लेखित निर्देशों का पालन करते हुए समितियों का गठन किया जाकर, नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः-यथोपरि।

19/5/2022

(शैलबाला ए. मार्टिन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ-07-55/2022/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 20 मई 2022

प्रतिलिपिः-

1. प्रमख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता,मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0-103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082।
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/ पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल।
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
20. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय-वल्लभ भवन, भोपाल-462004.

आदेश

भोपाल दिनांक 28 मई, 2001

क्रमांक एफ 7-7/2001/आर.प्र/एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सीधी भर्ती/पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेकलाग के निर्धारण हेतु, जिला स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर एवं मंत्रालय स्तर पर निम्नानुसार समितियां गठित करता है:—

(अ) जिला स्तर पर:

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	
3.	संबंधित विभाग का जिला स्तर का अधिकारी	सचिव
4.	जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण	
5.	अजाक्स का एक प्रतिनिधि (जिसको प्रदेशाध्यक्ष, अजाक्स द्वारा नामांकित किया जायेगा)	

(ब) विभागाध्यक्ष स्तर पर :

1	संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभाग का स्थापना शाखा का प्रभारी अधिकारी (प्रथम श्रेणी स्तर पर).	सचिव
3.	विभाग में ही कार्यरत् अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का अधिकारी (कम से कम द्वितीय श्रेणी का हो)	
4.	अजाक्स का एक प्रतिनिधि (जिसको प्रदेशाध्यक्ष, अजाक्स द्वारा) नामांकित किया जायेगा.	

(स) मंत्रालय स्तर पर:

1.	सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	अध्यक्ष
2.	संबंधित स्थापनाओं के अवर सचिव/उप सचिव	सचिव
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री (निगरानी प्रकोष्ठ)	

4. अजाक्स का एक प्रतिनिधि के रूप में
अध्यक्ष, अजाक्स मंत्रालयीन शाखा
मंत्रालयीन स्थापना के रोस्टर एवं बेकलाग का निर्धारण मुख्यमंत्री कार्यालय (निगरानी प्रकोष्ठ) के साथ समन्वय करके किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./
(वाय. एस. ढेले)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ.क्र. एफ 7-7/2001/आर.प्र/एक.
भोपाल दिनांक 28 मई, 2001

प्रतिलिपि:—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, ... मंत्रालय, भोपाल.
2. सचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल.
4. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल
5. समिति के संबंधित सदस्य
6. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश, अजाक्स, एफ 88/12, तुलसी नगर, सेकेण्ड स्टाप, भोपाल,
7. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाध्यक्ष

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता/-
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय-वल्लभ भवन, भोपाल-462004.

आदेश

भोपाल दिनांक 16 अगस्त, 2001

क्रमांक एफ. 7-7/2001/आर.प्र/एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, समसंख्यक आदेश दिनांक 28-5-2001 द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बैकलॉग के निर्धारण हेतु जिला स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर एवं मंत्रालय स्तर पर समितियां गठित की गई हैं.

2. मंत्रालय स्तर पर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित है.

3. उक्त आदेश में संशोधन कर यह स्पष्ट किया जाता है कि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापनाओं के लिये ही है. जिन विभागों में मंत्रालय स्तर पर स्थापना से संबंधित कार्य संपादित किया जाता है, उनकी स्थापनाओं के बैकलॉग के निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:—

(1) विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	अध्यक्ष
(2) संबंधित स्थापना के उपसचिव/अवर सचिव	सचिव
(3) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय (निगरानी प्रकोष्ठ).	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./
(वाय. एस. बेले)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2001

क्रमांक एफ 7-7/2001/आ. प्र/एक

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ... विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल.
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
4. समिति के सदस्य,
5. प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश अजाक्स संघ, एफ-88/12 तुलसी नगर, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ.

हस्ता./
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.